रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 28 सितम्बर, 2005/6 आश्विन, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 17 सितम्बर, 2005

सं0 पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-ई0 (9)/2001-5190.--श्री सुबिया राम, पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां ने शिकायत की थी कि श्री शुशील कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत कुठेहड़ ने सरकारी भूमि स्थित खसरा नं0 1005/2 व खसरा नं0 1000 रकबा तादादी 0-01-42 हैक्टेयर, मौजा कुठेहड़ पर नजायज कब्जा करके दुकान तामीर की है मामले की जांच उप-मण्डलाधिकारी (ना0) ज्वाली व तहसीलदार ज्वाली के माध्यम से करवाई गई जिसकी रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त अवैध कब्जे की पुष्टि हुई थी । इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के नियमितिकरण हेतु भी श्री शुशील कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत कुठेहड़ द्वारा शपथ-पथ दायर किया गया है ।

यह कि श्री शुशील कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत कुठेहड़ द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा कर हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व (ब) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप उक्त प्रधान को हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (क) के अन्तर्गत प्रधान, ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां के पद से निष्काषित किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से श्री शुशील कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत कुठेहड़ को निर्देश दिए जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए आप को प्रधान, ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां के पद से निष्काषित किया ज ए । आपका उत्तर इस नोटिस प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना चाहते तथा मामले में हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

मण्डी, 12 सितम्बर, 2005

क्रमांक पीसीएच-एम एनडी/2001-4785-89. यह कि ग्राम पंचायत समैला के अंकेक्षण पत्र अवधि 4/01 से 3/04 तथा उप-प्रधान, ग्राम पंचायत समैला द्वारा सतर्कता विभाग को लिखित शिकायत पत्र बारे जारी छानबीन रिपोर्ट में उठाए गए बिन्दुओं पर पंचायत निरीक्षक गोपालपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर श्री गुलाब सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत समैला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध निम्न विकास कार्यों के निष्पादन में पंचायत निधि के दुरुपयोग तथा छलहरण के निम्न मामले प्रकाश में आए हैं :—

1. अंकेक्षण आपत्ति संख्या 3 के अनुसार सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0जी0आर0वाई0) के अन्तर्गत निर्मित हरिजन बस्ती टिक्करी रास्ता के मास 3/03 के मस्ट्रोल पर मिस्त्री श्री गंगा राम सुपुत्र श्री जिन्दू राम के राशि प्राप्ति हस्ताक्षरों बिना मुबलिग 92/- रुपये दैनिक दर से 15 दिन की मुबलिग 1380/- रुपये की अनाधिकृत अदायगी रोकड़ अंकित करके इस राशि का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है ।

2. अंकेक्षण आपत्ति संख्या 4 के अनुसार सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0जी0आर0वाई0) के अन्तर्गत निर्मित "रास्ता अलोगो से बाबा बालक नाथ मन्दिर" के मस्ट्रोल मास 12/03 में अनियमित हाजरी के फलस्वरूप मुबलिग 500/- रुपये का अनाधिकृत व्यय रोकड़ अंकित करके इस राशि का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है ।

3. अंकेक्षण आपत्ति संख्या 5(2) के अनुसार श्री गुलाब सिंह प्रधान द्वारा मुबलिग 720/- रुपये का अनाधिकृत यात्रा भत्ता प्राप्त करके इस राशि का दुरुपयोग किया गया है ।

4. अंकेक्षण आपत्ति संख्या 5(6) अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मास जनवरी, 2002 के मस्ट्रोल पर एक जैसी दिनांकों को कई बार पृथक-पृथक स्याही से हाजरियां अंकित करके मुबलिग 3867/- रुपय का अनियमित एवं शंकाप्रद व्यय रोकड़ अंकित करके इस राशि का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है ।

5 अंकेक्षण आपत्ति संख्या 5(7) अनुसार रिटेनिंग वाल वर्फी देवी के घर के पास के मस्ट्रोल मास 12/01 में पृथक-पृथक स्याही से हाजरी लगाकर मुबलिग 495/- रुपये की अनियमित अदायगी करके प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि का दुरुपयोग किया गया स्पष्ट होता है ।

6. अंकेक्षण आपत्ति संख्या 5(9) अनुसार निर्माण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समैला के मस्ट्रोल मास 2/02 के क्रमांक-4 पर कार्यरत मजदूर को 11 फरवरी, 2002 से उपस्थित दिखाने के उपरान्त क्रमांक 5 पर कार्यरत मजदूर को 1 फरवरी, 2002 से 10 फरवरी, 2002 तक बाद में कार्यरत होने पर भी पहले उपस्थित दिखाए जाने से मुबलिग 550/- रुपये तथा श्री अमर सिंह और श्री रमेश चन्द श्रमिक को 7 दिन की देय अदायगी के स्थान पर 8 दिन अदायगी किए जाने से मुबलिग 110/- रुपये का अधिक व्यय जिसका कुल योग मुबलिग 550+110=660 रुपये बनता है, की अनाधिकृत अदायगी दर्ज करके इस राशि का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है ।

7. अंकेक्षण आपत्ति संख्या 5(11) अनुसार "रास्ता गांव रिछड़ी" के मस्ट्रोल मास 7/02 द्वारा श्री बेली राम सुपुत्र श्री नाथू राम श्रमिक के राशि प्राप्ति हस्ताक्षर बिना 1 जुलाई, 2002 से 4 जुलाई, 2002 तक मुबलिग 55 रुपये दैनिक दर से चार दिन की मुबलिग 220/- रुपये की अनाधिकृत अदायगी रोकड़ दर्ज करके इस राशि का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है ।

8. अंकेक्षण पत्र के पैरा 8(2) अनुसार निर्माण लिंक रोड़ किहरू पर जे0सी0बी0 से 14.28 घण्टे काम करवाया दर्शाकर 700/- रुपये प्रति घण्टा की दर से 9996/- रुपये देय अदायगी के स्थान पर मुबलिग 14000/- रुपये का व्यय प्रमाणक संख्या 20 के अन्तर्गत रोकड़ पृष्ठ 122 पर अंकित किया गया है । इस प्रकार मुबलिग 4004/- रुपये की अधिक अदायगी का स्पष्ट दुरुपयोग हुआ है । खण्ड विकास अधिकारी, गोपालपुर के माध्यम से प्राप्त अनुवर्तन रिपोर्ट अनुसार यह राशि रसीद संख्या 248919, दिनांक 14 जुलाई, 2004 के अन्तर्गत वसूल होकर रोकड़ पृष्ठ 4 दिनांक 14 जुलाई, 2004 पर जमा पंचायत की जा चुकी है । इस प्रकार प्रधान द्वारा मुबलिग 4004/- रुपये की राशि के दुरुपयोग की पुष्टि हो जाती है ।

9. ग्राम पंचायत समैला के अंकेक्षण पत्र अवधि 4/01 से 3/04 आपत्ति संख्या 5 व 6 अनुसार सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत घर मुरम्मत के मास 11/03, 12/03 तथा 1/04 के मस्ट्रोल पर अनियमित हाजरी अंकित करने के फलस्वरूप क्रमशः 9900/- रुपये 8215/- रुपये तथा 5115/- रुपये जिसका कुल योग 23230/- रुपये बनता है तथा मास 12/03 में पंचायत घर समैला के निर्माण कार्य के समाप्त होने के दो मास उपरान्त 15 बैग सिमेंट क्रय दर्शाकर मुबलिग 3160/- रुपये का अनाधिकृत व्यय दिनांक 2 फरवरी, 2004 को रोकड़ अंकित किया गया है । इस प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत मुबलिग 23230+3160=26390/- रुपये की राशि के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है । खण्ड विकास अधिकारी गोपालपुर से प्राप्त छानबीन रिपोर्ट अनुसार मुबलिग 29210/- रुपये की राशि रसीद संख्या 452907 से 452909 दिनांक 14 जुलाई 2004 के अन्तर्गत वसूल होकर रोकड़ पृष्ठ 61 तथा 62 पर दर्ज की गई है । जिससे उक्त राशि के दुरुपयोग की स्पष्टतया पुष्टि हो जाती है । जांच रिपोर्ट अनुसार पंचायत घर समैला की मुरम्मत/नवनिर्माण पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2003-2004 में एम0जी0आर0ए0ई0 तथा ग्राम निधि मद से कुल मुबलिग 86020/- रुपये की राशि व्यय की गई थी । इस कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता विकास खण्ड गोपालपुर द्वारा मुबलिग 59923/- रुपये आंका गया है । अतः निर्माण का मूल्य व्यय राशि से मुबलिग 26097/- रुपये कम आंका गया है, जिसके लिए श्री गुलाब सिंह प्रधान ग्राम पंचायत को व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी पाया गया है । इस सम्बन्ध में पूर्व दिए विवरणानुसार मुबलिग 29210/- रुपये की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत से की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त जांच रिपोर्ट में वर्णित आरोप संख्या 2(2) अनुसार पंचायत घर मुरम्मत तथा शौचालय निर्माण पर वर्ष 2001-2002 में भी 10वां वित्तायोग अनुदान तथा पंचायत निधि से कुल मुबलिग 49005/- रुपये का व्यय किया गया था जबकि कनिष्ठ अभियन्ता, विकास खण्ड गोपालपुर द्वारा इस कार्य का मूल्यांकन मुबलिग 36680/- रुपये आंका गया है जो व्यय राशि से मुबलिग 12325/- रुपये कम है । अतः प्रधान ग्राम पंचायत मुबलिग 12325/- रुपये की इस राशि के दुरुपयोग का भी दोषी पाया गया है ।

10. अंकेक्षण आपत्ति संख्या 9 अनुसार सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0जी0आर0वाई0) के अन्तर्गत निर्मित "रास्ता हरिजन वस्ती वाडगी से प्राथमिक पाठशाला तक" के मास 1/04 के मस्ट्रोल पर श्रमिकों की अनियमित हाजरियां दर्शाकर मुबलिग 6955/- रुपये की राशि का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है । खण्ड विकास अधिकारी गोपालपुर के माध्यम से प्राप्त समाधान रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी अधिकारी द्वारा उक्त कार्य का मूल्यांकन मुबलिग 5931/- रुपये आंका गया है । मुबलिग 5931/- रुपये की वसूली रसीद संख्या 452906, दिनांक 18 जून 2004 के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत से की जा चुकी है, जिससे पंचायत निधि के दुरुपयोग की पुष्टि हो जाती है । अतः मस्ट्रोल पर अंकित अनियमित हाजरियों के फलस्वरूप व्यय की गई मुबलिग 6955/- रुपये की राशि से वसूल की गई मुबलिग 5931/- रुपये की राशि कम करने पर मुबलिग 1024/- रुपये की राशि प्रधान ग्राम पंचायत से वसूली हेतु शेष रहती है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री गुलाब सिंह प्रधान ग्राम पंचायत समैला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने कार्यकाल में ऊपर दिए गए विवरणानुसार विकास कार्यों के निष्पादन में सरकारी धनराशि/पंचायत निधि का समय-समय पर दुरुपयोग किया गया है । इसलिए उनका जनहित में प्रधान पद पर बने रहना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः मैं, सुभाशीष पाण्डा (भा0प्र0से0), उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गुलाब सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत समैला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि वह उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें । निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें उक्त बारे अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है तथा उनके विरुद्ध नियमाधीन आगामी कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी ।

सुभाशीष पाण्डा (भा0प्र0से0),
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

नाहन, 8 सितम्बर, 2005

संख्या पंसीएन-एस0एम0आर0(5) 50/96-2932-36.—यह कि ग्राम पंचायत भजौण, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर द्वारा श्री जय गोपाल उप-प्रधान का त्याग-पत्र प्राप्त हुआ है । यह त्याग-पत्र इस पद पर कार्य करने में असमर्थ होने के कारण दिया गया है ।

अतः मैं, एम0एस0 नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 व पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जय गोपाल उप-प्रधान, ग्राम पंचायत भजौण, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं ।

एम0 एस0 नेगी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित